CENTRAL NOTARY
ADVOCATE
RAM SWAROOP
(BISHNOI)
BIKANER (RAJ.)
Regd. 560
GOVT. OF INDIA

नगर विकास न्यास, बीकानेर

पट्टा विलेख (निवास स्थान के लिए)

आज दिनांक 21/5/2004 (सन् दो हजार चार ई.) को एक ओर राजस्थान के राज्यपाल, द्वारा न्यास, बीकानेर (जिसे इसमें एतद् पश्चात् पट्टादाता कहा गया है,) और दूसरी ओर श्री/श्रीमती/सुश्री एम. एन. एस. मेडिकल एण्ड एज्युकेशनल सोसायटी पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री बीकानेर जिसे इसमें एतद् पट्टाधारी कहा गया है।) के बीच यह अनुबन्ध लिखा गया।

चूंकि पट्टादाता एक निवास-भूखण्ड (प्लाट) जिसका वर्णन आगे संलग्न अनुसूची में किया गया है इस विलेख में एतद् पश्चात् उल्लिखित ढंग से पट्टाधारी को पट्टे द्वारा अन्तरित करने के लिए सहमत हो गया है।

अतः अब यह अनुबन्ध इस बात के साक्ष्य के रूप में है कि इस विलेख के निष्पादन से पहले प्रीमियम के प्रयोजन से दिए गए रु.3,22,437/- पै (अक्षरे रुपया तीन लाख बाईस हजार चार सौ सैंतीस) मात्र की राशि (जिसकी प्राप्ति पट्टादाता एतद् द्वारा अंगीकार करता है) और नगर कर निर्धारण (अर्बन एसेसमेन्ट) जिसका अधिकार एतद् पश्चात आरक्षित रखा गया है और पट्टाधारी की ओर से प्रसंविदाओं जो एतद् पश्चात् अन्तर्विष्ट है के प्रति फलस्वरूप पट्टादाता उस सम्पूर्ण भूखण्ड (प्लाट) को जो ग्राम नैनों का बास स्कीम के नक्शों (Plans) के अनुसार मौके पर स्थित निवास खसरा संख्या 227/202/40/2 (KILLA-7,8,13,14,15) है, नाप से जिसका क्षेत्रफल 3330.55 वर्गमीटर है, जिस निवास-भूखण्ड का अधिक विशेष रूप से वर्णन इस अनुबन्ध में आगे लिखी हुई अनुसूची में किया गया है तथा सीमाएं अधिक स्पष्टता के लिए इस विलेख के साथ संलग्न प्लान (जो इसमें आगे निवास भूखण्ड कहा गया है) में चित्रित कर दी गई है मय उक्त निवास भूखण्ड के अथवा उसमें सम्बन्ध समस्त अधिकार, सुविधायें (Amenities) और अनुलग्न वस्तु जो भी हो एतद् द्वारा पट्टाधारी को उसके लिए अन्तरित करता है। पट्टाधारी एतद् द्वारा पट्टान्तरित की गई भूमि दिनांक 24 अप्रेल सन् 2004 ई.) से निन्यानवे वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक नगर कर निर्धारण रुपये रु.16,122/- (अक्षरे रुपये सोलह हजार एक सौ बाईस मात्र) जो अग्रिम देय है अथवा ऐसा अन्य निर्धारित नगर कर जो प्रसंविदाओं तथा इसमें आगे अन्तर्विष्ट किए गए प्रतिबन्धों के अधीन एतद् पश्चात् निर्धारित किया जाय की मार्ग पालन करते हुए तथा नगर सुधार न्यास के कार्यालय में अथवा ऐसे अन्य स्थान में जो पट्टादाता द्वारा एतद् प्रयोजनाय अधिसूचित किया जाय उसका शोधन जो सब कटौतियों से रहित हो, वार्षिक भुगतानों (लीजमनी) जिनमें पहला ऐसा भुगतान दिनांक 24-4-2004 को किया गया पट्टाधारी द्वारा करते हुए धारित करेगा।

परन्तु इस अनुभव में आगे अन्तर्विष्ठ अपवादों, आरक्षणों, प्रसंविदाओं तथा प्रतिबन्धों अर्थात् निम्नांकितों के सदैव अधीन रहते हुए:

1. पट्टादाता निवास भूखण्ड पर या उसके नीचे की समस्त खानों, खनिजों, कोयलों, स्वर्ण इत्यादि भूमि के तेल इत्यादि और खदानों का तथा निवास भूखण्ड या तत्समय उस पर खड़े किसी धरातल के लिये किसी अवलम्ब की व्यवस्था किए बिना या उसे रहने दिये बिना सब समय ऐसे समस्त कार्य और बातें जो अन्वेषण खनन, प्राप्त करने, हटाने और उनका उपयोग के प्रयोजनार्थ आवश्यक या इष्टकर हों, करने के लिए पूरे अधिकार और शक्ति को, अपवर्जित करके अपने अधिकार में आरक्षित रखता है। परन्तु सदैव यह शर्त रहेगी कि एतद् द्वारा आरक्षित अधिकारों या उसमें किसी अधिकार का प्रयोग करने में प्रत्यक्षतः हुई किसी क्षति के लिए पट्टादाता पट्टाधारी को उचित क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा।
2. पट्टाधारी अपने लिए/अपने वायदों, निष्पादकों, प्रबन्धकों और अभिहस्तांकितियों के लिए पट्टादाता से निम्न रूपेण प्रसंविदा करता है अर्थात: पट्टाधारी पट्टादाता को एतद् द्वारा आरक्षित वार्षिक किराया उन दिनों को और ऐसे ढंग से देगा जिनका इसमें पूर्व में उल्लेख किया गया है।

Photo Copy Attested
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)

Secretary/Treasurer
Medical & Educational Society

2. पट्टाधारी निर्धारित नक्शे प्लान से किसी भी रूप में विचलित नही होगा और न उप विभाजन द्वारा सांम्मश्रण द्वारा या अन्यथा विवा के परिणाम में कोई परिवर्तन करेगा।

3. पट्टाधारी तीन वर्ष की अवधि (और इस तरह से निर्दिष्ट समय संविद की सारवस्तु होगी) के भीतर भवन के नक्शे प्लान के लि प्राप्त करने के पश्चात अपने स्वयं के व्यय पर निवास लिए भूखण्ड पर निजी आवास के लिए भवन के स्वीकृत के अनुसार ए भवन खड़ा करेगा और उसे पर्याप्त रूप से तथा कौशलपूर्ण ढंग से पूरा करेगा तथा सुधार न्यास से एक मूढ पूर्ण होने का) सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा। परन्तु पट्टाधारी ऐसे उपगृहों और सेवकों के क्वांटरों के अतिरिक्त जिनका सुधार न्यास द्वारा अनुमोदन जाय उक्त भूखण्ड पर एक से अधिक भवन खड़े नहीं करेगा।

4. पट्टाधारी अपने निवास भूखण्ड या उसके किसी भाग को न तो बेचेगा, न हस्तांतरित करेगा न अभिहस्तांकित करेगा न किसी अ से उस पर से कब्जा छोड़ेगा सिवाय पट्टादाता की पूर्व लिखित सहमति के। परन्तु शर्त यह है कि ऐसी सहमति, इस पट्टे के नियमानुसार वर्ष तक नही दी जायेगी जब तक पट्टादाता की राय में ऐसी सहमति प्रदान करने के लिए विशेष परिस्थितियां वि हों परन्तु शर्त यह है कि सहमति हो जाने की दशा में पट्टादाता ऐसे निबन्धन और प्रतिबन्ध लगा सकता है जिन्हें वह उचि

5. जब कभी पट्टाधारी का स्वत्व निवास भूखण्ड से किसी भी तरह से हस्तांतरित किया जाय हस्तांतरियों इस पट्टे में सन्निवि प्रसंविदाओं, प्रतिबन्धों से बद्ध होगा और उनके लिए सब तरह से उत्तरदायी होगा।

6. जब कभी पट्टाधारी का स्वत्व निवास भूखण्ड से किसी भी तरह से हस्तांरित किया जाये, हस्तांतर और हस्तांतरित हस्तांतरण के त के भीतर ऐसे हस्तांतरण का नोटिस पट्टादाता को लिखित में देंगे।

पट्टाधारी की मृत्यु की दशा में वह व्यक्ति जिसे मृतक के स्वत्व का प्रकांत हुआ है प्रकामण के तीन महिने के भीतर प ऐसे प्रकामण का नोटिस देगा। यदि पट्टाधारी और उसकी मृत्यु की दशा में उसका उत्तराधिकारी पर्याप्त कारण के बिना ऐसा न में चूक या उपेक्षा करता है तो वह ऐसी चूक या उपेक्षा के लिए रु. नियमानुसार देने का भागी होगा।

हस्तांतरिति या वे व्यक्ति जिसको स्वत्व का प्रकामण हुआ है जैसी भी स्थिति हो हस्तांतरण या प्रकामण के साक्षी दस्तावेजों की प्रतिलिपियां पट्टादाता को देंगे।

7. पट्टाधारी समय-समय पर और सब समय ऐसे समस्त स्थानीय करों, प्रभारों इत्यादि और प्रत्येक प्रकार के निर्धारित करों का भु चुकारा करेगा जो एतद्द्वारा पट्टान्तरित निवास भूखण्ड पर या उस पर खड़े किए गए किन्हीं भवनों पर या उससे सम्बन्धित भू- आसामी पर निर्धारित किये गए हैं, प्रभृत किये गए हैं या लगाए गए हैं अथवा एतद्पश्चात् किसी समय इस पट्टे के चालू रहने निर्धारित किये जायें, प्रभृत किये जायें या लगाये जायें।

8. एतद्द्वारा पट्टान्तरति निवास भूखण्ड के सम्बन्ध में दिये नगर कर निर्धारण की समस्त बकाया राशियों तथा अन्य भुगतान उसी प्र योग्य होगी जिस प्रकार भू-राजस्व की बकाया राशियाँ।

9. पट्टाधारी सुधार न्यास बीकानेर की लिखित स्वीकृति बिना निवास भूखण्ड पर कोई भवन खड़ा नहीं करेगा या ऐसे भवन में द खड़ा नहीं करेगा या ऐसे भवन में कोई परिवर्धन या परिवर्तन नही करेगा।

10. पट्टाधारी पट्टादाता की लिखित स्वीकृति बिना पट्टान्तरित निवास भूखण्ड या उस पर खड़े किसी भवन में किसी भी प्रकार का ऐ या व्यवसाय नहीं करेगा या करने की अनुमति नही देगा या निजी आवास के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए उसक नहीं करेगा या प्रयोग करने की अनुमति नही देगा या उसमें किसी प्रकार का ऐसा कार्य या ऐसी बात नहीं करेगा या करने जो पट्टादाता की राय में तथा पड़ौस में रहने वाले लोगों के लिए त्रास, संतापन या विक्षोभ हों।

परन्तु यदि पट्टाधारी उक्त पट्टान्तरति निवास भूखण्ड या उस पर खड़े भवन का प्रयोग निजी आवास के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए करने का इच्छुक है तो पट्टादाता ऐसे निबन्धनों और प्रतिबन्धों पर जिनमें अतिरिक्त प्रीमियम और अतिरिक्त किराये वे सम्मिलित हैं जो पट्टादाता अपने पूर्ण विवेक से निर्धारित करे प्रयोग के ऐसे परिवर्तन के लिए अनुमति दे सकेगा।

11. पट्टाधारी इस पट्टे की समाप्ति दिनांक 23-4-2103 ई. पर उक्त निवास भूखण्ड तथा उस पर खड़े भवनों को शांति पट्टादाता को समर्पित कर देगा।

यदि प्रीमियम या वार्षिक निर्धारित नगर कर के संबंध में भुगताई जाने वाली एतद्द्वारा रक्षित राशि या राशिया अथवा उ किसी समय बकाया रह जायेगा और उन दिनों में से किसी दिन जब वह देय हो से एक कलैण्डर माह पश्चात तब बिन

Secretary/Treasurer
M.N.S. Medical & Educational Society
BIKANER

For
M.N.S. Medical & Educational Society
हस्ताक्षर

TREASURER

सचिव प्राधि
नगर विकास

ADVOCATE RAM SWAROOP BISHNOI BIKANER (RAJ.) Regd. 560 GOVT. OF INDIA

रहेगा चाहे उसकी मांग की गई हो या न की गई हो या यदि यह पता चले कि कोई तथ्य छिपाकर मिथ्या कथन या छल करके यह पट्टा प्राप्त किया गया है अथवा यदि पट्टादाता जिसका निर्णय अन्तिम होगा की राय में उन प्रसंविदाओं जो इसमें अन्तर्विष्ट हैं और जिनका उसकी ओर से अनुसरण और पालन किया जाना हो में से किसी का भंग पट्टाधारी द्वारा मार्फत या उसके अधीन रहकर अधिकार घोषित करने वाले व्यक्ति द्वारा दिया जायेगा, तो और किसी भी मामले में एतद्द्वा निवास भूखण्ड और उस पर खड़े भवनों में पुनः प्रवेश करने के किसी पूर्वाधिकार का अधित्याग होते हुए भी उक्त निवास उसपर खड़े भवनों और स्थायकों में पुनः प्रवेश करना और उन पर कब्जा करना पट्टादाता के लिए वैध होगा और ऐसा पट्टा और इस विलेख में निहित कोई बात निवर्तित होकर समाप्त हो जायेंगे और पट्टाधारी किसी भी क्षतिपूर्ति या दिये गये किसी प्रीमियम को वापस लेने का हकदार नहीं होगा।

परन्तु इसमें अनर्विष्ट किसी बात के विपरीत होते हुए भी पट्टादाता पुनः प्रवेश के अपने अधिकर जैसा कि पूर्व में कहा प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, और अपने पूर्ण विवेक से ऐसी राशि की प्राप्ति पर और निबन्धों पर जो उसके द्वारा निर्धारित किये पर अस्थाई रूप से अथवा अन्यथा कार्यवाही न करके उनको दोषमार्जित कर सकेगा और नियमानुसार प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित, निर्धारित नगर कर की उक्त राशि या राशियां जो बकाया होगी जैसा ऊपर कहा गया है, का भूगतान भी ग्रहण

4. जब्ती या पुनः प्रवेश तब तक प्रभवशाली नहीं होगा जब तक पट्टादाता :

(क) उस मांग विशेष का उल्लेख करते हुए जिसके सम्बन्ध में शिकायत है तथा

(ख) यदि मांग प्रतिकार के योग्य है तो उस भंग का प्रतिकार करने की पट्टाधारी से अपेक्षा करते हुए-

ने एक लिखित नोटिस पट्टाधारी को न पहुंचा दिया हो और पट्टाधारी ने ऐसे यथोचित समय जिसका उल्लेख नोटिस में किया जाय के का प्रतिकार करने में यदि यह प्रतिकार के योग्य है चूक न करदी हो और जब्ती या पुनः प्रवेश की दशा में पट्टादाता अपने विवेक से ऐसे और प्रतिबन्धनों पर जैसा की उचित समझे जब्ती के विरुद्ध उप शयन कर सकता है।

इस खंड की कोई बात-

(क) उप विभाजन या समिश्रण तथा निवास भूखण्ड के हस्तांतरण संबंधी प्रसंविदाओ और प्रतिबन्धों जिनका खंड 2 में उल्लेख किए के भंग के लिए अथवा

(ख) यदि यह पट्टा किसी तथ्य को छिपाकर, मिथ्या कथन, भ्रांत कथन या छल करके प्राप्त किया गया है तो जब्ती या पुनः प्रवेश नहीं होगी।

5. नगर कर निर्धारण जिसका अधिकार एतद् द्वारा आरक्षित रखा गया है प्रत्येक पन्द्रह वर्ष के पश्चात संशोधित किया जा सकेगा किन्तु लिये गये कर के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

6. पट्टादाता इस पट्टे के अर्न्तगत प्रयुक्त होने वाली समस्त शक्तिया या उनमें से किसी शक्ति का प्रयोग करने लिए अध्यक्ष सुधार न्यास अन्य अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा।

7. इस पट्टे के अन्तर्गत दिये जाने वाले समस्त नोटिस, आदेश, निर्देश, सहमतियों या अनुमोदन लिखित में होंगे और ऐसे अधिकारी द्वारा ह होंगे जो पट्टादाता द्वारा प्राधिकृत कर दिया जाय और यदि उन्हें निवास भूखण्ड पर खड़े अस्थाई या अन्यथा किसी भवन या निर्माण चिपका दिया जायेगा या पट्टाधारी या उक्त अन्य व्यक्तियों के तत्समय के निवास स्थान, कार्यालय अथवा व्यापार स्थान या ग्राम स्थान अथवा अंतिम ज्ञात पता निवास स्थान दर सौंप दिया जायेगा या डाक द्वारा वहां भेज दिया जायेगा तो उसे पट्टाधारी या निवास पर किसी अधिकार का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को यथाविधि पहुचा हुआ माना जायेगा।

8. इस विलेख में इससे पूर्व प्रयुक्त पदावली नियमावली पट्टादाता और पट्टाधारी में जहां संदर्भ से ऐसा मान्य हो, पट्टादाता की दशा उत्तराधिकारी और अभिहस्तांकन किसी और पट्टाधारी की दशा में उसके दायाद, निष्पादक, प्रबंधक या वैध प्रतिनिधि और वह व्यक्ति या जिन में एतद्द्वारा सर्जित पट्टा धारण का हित अभिहस्तांकन अथवा अन्यथा तत्समय निहित होगा, सम्मिलित होंगे।

9. यह पट्टा गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट, 1895 (एक्ट 15, सन् 1895) के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है जैसा-

जिसके साक्ष्य में ऊपर प्रथमतः लिखे गए दिन और वर्ष को पट्टादाता के लिए और उसकी ओर से तथा उसके आदेश और निर्देश नगर विकास न्यास बीकानेर ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं और पट्टाधारी श्री/श्रीमती/सुश्री एम-एन-एस-मेडिकल एजुकेशनल सोसायटी, बीकानेर। लिए और उसकी ओर से उसके मुख्त्यार ने इस पर हस्ताक्षर किये है।

Secretary/Treasurer M.N.S. Medical & Educational Society BIKANER

हस्ताक्षर............

For M.N.S. Medical & Education Society TREASURER

सचिव प्राधिकृत

PHOTO COPY ATTESTED

CENTRAL NOTARY ADVOCATE ... AROOP ... BISHNOI BIKANER (RAJ.) Regd. 560 GOVT. OF INDIA

उपरिनिदिष्ट अनुसूची

सम्पूर्ण भूखण्ड जो ग्राम डोलोसा बास के नक्शे (Plan) में निवास खसरा सं. 227/202/40/2 KILL NO. 7,8,13,14,15 9330.55 वर्गगज वर्गफुट/वर्गगज या इसके लगभग है तथा सीमाएं निम्न रुपेण हैं।

उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
LA NO. 748	रोड	KILL NO. 16,17&18	KILL NO.

और जिसे संलग्न नक्शे में दिखाया गया है और जिसे लाल रंग की सीमाओं से चिंहित किया गया है।

श्री/श्रीमती/सुश्री एम. एन. एस. मेडिकल एण्ड एज्यूकेशनल सोसायटी, बीकानेर व राजस्थान के राज्यपाल तथा सचिव नगर सुधार न्यास के लिए और उनकी/उसकी ओर से गवाहों की उपस्थिति में सचिव नग द्वारा हस्तातिरत

हस्ताक्षर [signature]
For
M.N.S. Medical & Educational Society
(नाम) श्री/श्रीमती एम. एन. एस. मेडिकल पट्टाधारी
एण्ड एजुकेशनल सोसायटी, बीकानेर

1. हस्ताक्षर [signature]
नाम शाकुब अली गिरवाण
वल्द (पिता का नाम) अनवर अली
पता 5-C-13, जे. एन. वी. कॉलोनी बीकानेर

2. हस्ताक्षर [signature]
नाम जुगल किशोर माथुर
वल्द (पिता का नाम) ब्रिजमोहन जी
पता 5-C-17, ड्यूप्लेक्स, कॉलोनी बीकानेर

संलग्नः स्टाम्प तकमील नग एक
कीमती रु. 100/-

[signature]
सचिव/प्राधिकृत अधि.
नगर विकास न्यास बीका.

[signature]
Secretary/Treasurer
M.N.S. Medical & Educational Society
BIKANER

ATTESTED
NOTARY

PHOTO COPY ATTESTED
CENTRAL NOTARY

आज दिनांक 22 माह June सन् 2004 को 15:16 बजे
श्री / श्रीमती / सुश्री MOHD. ALI पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री MANGI LAL
उम्र 35 वर्ष, जाति MUSALMAN व्यवसाय NA
निवासी BIKANER
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, BIKANER
(2004008052)
(Lease Deed (more than equal to 20 Years))

CENTRAL A... ADVOCA... RAM SWA... (BIS... BIKANER Regd. GOVT. O...

रसीद नं० 19344 दिनांक 22/06/2004
पंजीयन शुल्क रू0 3550/--
प्रतिलिपि शुल्क रू0 200/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/-
अन्य शुल्क रू0 0/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 38920/-
कुल योग रू0 42670/-

(2004008052) उप पंजीयक, BIKANER
(Lease Deed (more than equal to 20 Years))

	हस्ताक्षर	फोटो
उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant) 1-MOHD. ALI/MANGI LAL Age:35, Caste-MUSALMAN Ocu.-NA R/O-BIKANER		

ने लेख्यपत्र Lease Deed (more than equal to 20 Years) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री / श्रीमती / सुश्री RAKESH
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री CHARANJEET LAL उम्र 38 वर्ष
जाति MEHENDIRATTA व्यवसाय PRIVATE
निवासी BIKANER ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

Secretary/Treasurer
M.N.S. Medical & Educational Society
BIKANER

(2004008052) उप पंजीयक, BIKANER
(Lease Deed (more than equal to 20 Years))

Photo Copy Attested

आज दिनांक 22/06/2004 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 855
में पृष्ठ संख्या 50 क्रम संख्या 2004005250 पर
पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1370
के पृष्ठ संख्या 359 से 367 पर
चस्पा किया गया।

(2004008052) उप पंजीयक, BIKANER
(Lease Deed (more than equal to 20 Years))

Secretary/Treasurer
M.N.S. Medical & Educational Society
BIKANER

CENTRAL NOTARY GOVT. OF INDIA
Regd. 560
BIKANER (RAJ.)
RAM SWAROOP BISHNOI
ADVOCATE

SITE PLAN SHOWING THE LAND AQUIRED UNDER THE __
RAJASTHAN LAW'S (AMENDMENT) ORDINANCE 1999 LAND
OF M.N.S. MEDICAL & EDUCATIONAL SOCIETY
K.NO 15 B.S.M. 179/56 VILL. NAINA KA BASS (RIDMALSAR PUROHITAN)
KILLA NO - 7, 8, 13, 14, 15
SCALE : 1 INCH TO 165 FEET

LAND SHOWN THUS .... ▭

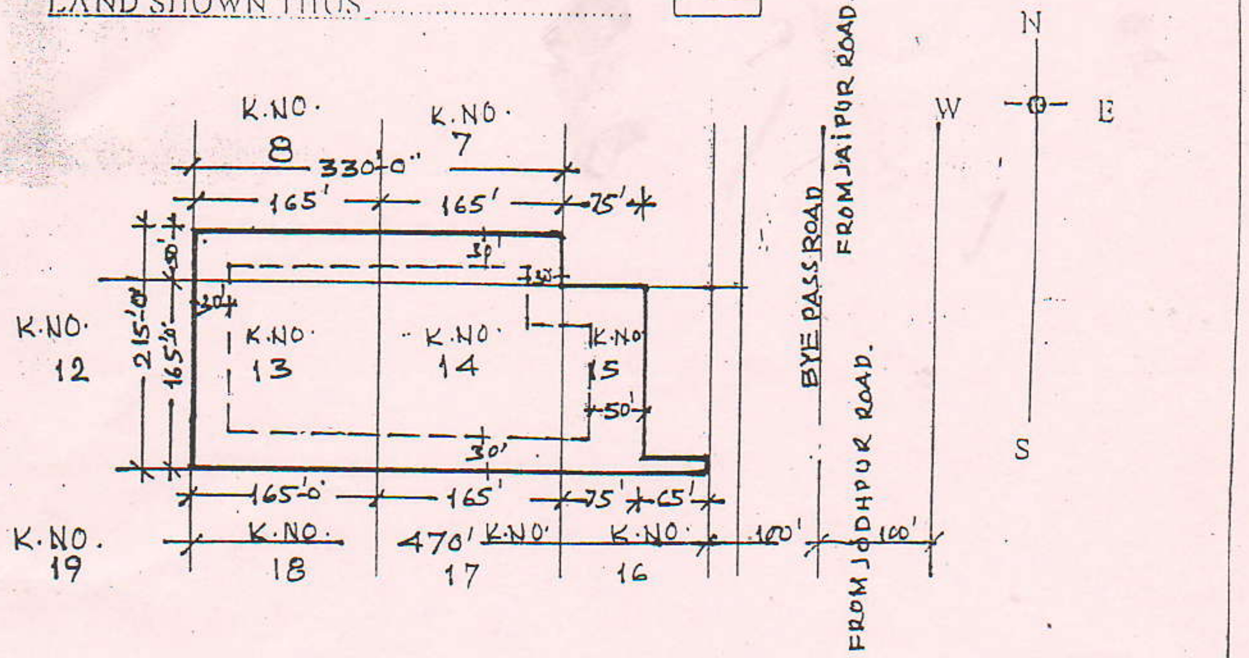

NOTE : MAXIMUM COVERED AREA.
(IN SETBACK'S) 35%.
HEIGHT . BUILDING BYE LAWAS.
~~विनियम . 7.11~~
(AS PER B.B.LAW'S)
F.A.R. – 1.0

सचिव/प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास, बीकानेर

AREA :

S.NO.	NORTH	SOUTH	AVE	EAST	WEST	AVE	SQFT	SQYARD
(i)	330'-0"	330'-0"	330'-0"	215'-0"	215'-0"	215'-0"	70950	
(ii)	75'-0"	75'-0	75'-0"	165'-0"	165'-0	165'-0	12375	
(iii)	65'-0"	65'-0	65'-0	10'-0"	10'-0	10'-0	650	

TOTAL- 83975 sft. 9330-55 SQ.yd

DRAWN BY
[signature]
29/3/04
SUNIL PANDEY.

CHECKED BY
[signature] 29/3/04
SRDM J.EN/SURVEYOR A.EN. D.T.P.

URBAN IMPROVEMENT TRUST BIKANER

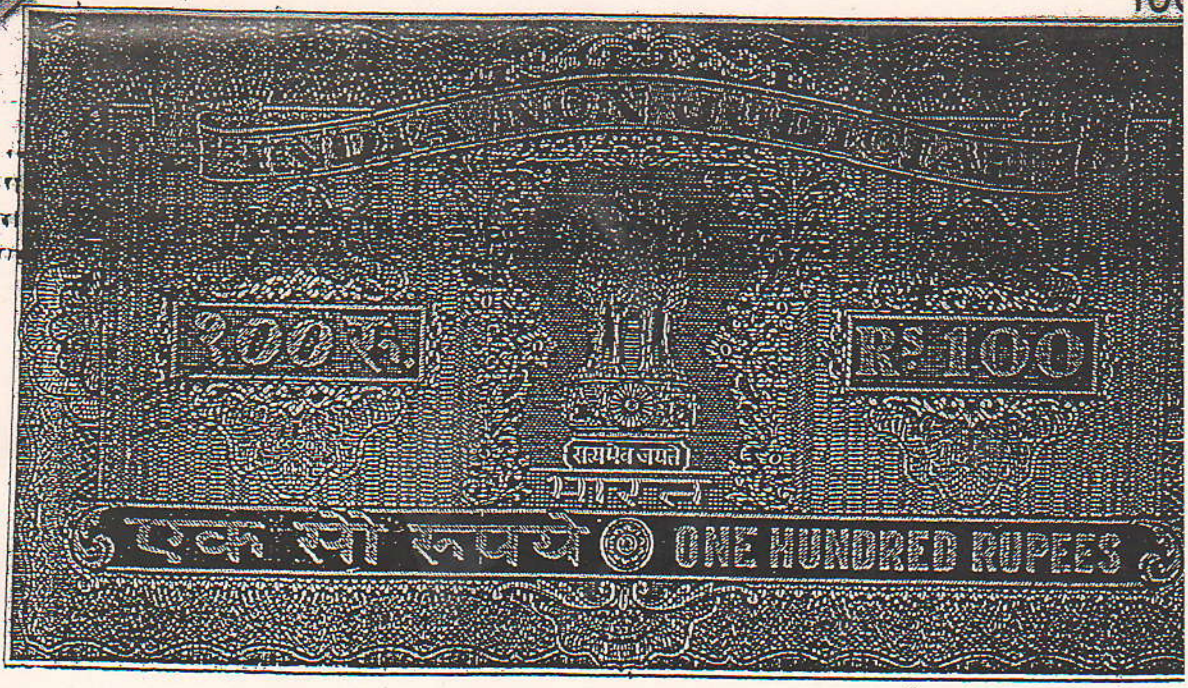

CENTRAL NOTARY
ADVOCATE
RAM SWAROOP (BISHNOI)
BIKANER (RAJ.)
Regd. 560
GOVT. OF INDIA

आज दिनांक 22/06/2004 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 855
में पृष्ठ संख्या 50 क्रम संख्या 2004005250 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1370
के पृष्ठ संख्या 359 से 367 पर
चस्पा किया गया।

कार्यालय नगर विकास न्यास
बीकानेर
स्टाम्प तकमीलो दाखले पट्टा विलेख
ग्राम...... खा.स. नं. ...... मु.स. ......
बदस्त श्री/श्रीमती ......
पुत्र/पत्नी श्री ......

(2004008052) उप पंजीयक, BIKANER
(Lease Deed (more than equal to 20 Years))

सचिव प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास बीकानेर

Secretary/Treasurer
M.N.S. Medical & Educational Society
BIKANER

Photo Copy Attested

CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ.)

4 ... 2009

आज दिनांक 22/06/2004 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 855
में पृष्ठ संख्या 50 क्रम संख्या 2004005250 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1370
के पृष्ठ संख्या 359 से 367 पर
चस्पा किया गया।

(2004008052) उप पंजीयक, BIKANER
(Lease Deed (more than equal to 20 Years))

Secretary/Treasurer
M.N.S. Medical & Educational Society
BIKANER

CENTRAL NO
ADVOCATE
RAM SWARO
BISHI
BIKANER (R
Regd. S

कार्यालय नगर विकास न्यास

क्रमांक/न्यास भ. निर्माण/०५/ ३५१ दिन

श्री/श्रीमती एम. एन. एस. मेडिकल एण्ड

एज्यूकेशनल सोसायटी

बीकानेर खसरा नं. 227/202/50/2 KIUHC

ग्राम नौरो का

विषय श्री/श्रीमती एम. एन. एस. मेडिकल एण्ड के भूखण्ड प

हेतु नक्शा प्लाट संख्या 227/202/50/2 ... KIUHC 7, 8, 13, 14, 15

उपरोक्त वर्णित निर्माण स्वीकृति हेतु प्रार्थी के द्वारा प्लान इस कार्यालय में पेश किये जो

के उपनियम की योजना एवं सुधार नियमों के अन्तर्गत उक्त निर्माण की निम्न शर्तों के तहत र

1. छज्जे या बालकानी स्वीकृत प्लान के अनुसार ही निकाले जावें।
2. गन्दे पानी को सोखने हेतु सोकेज वेल (कुआं) प्रार्थी अपनी भूमि में बनाये।
3. भूखण्ड के चार दिवारी की ऊंचाई साढे चार फुट व नौ इंच मोटाई तक होगी।
4. स्ट्रक्चरल डिजाइन की जिम्मेवारी प्रार्थी की होगी।
5. प्रार्थी अपनी चार दिवारी के बाहर न्यास द्वारा निर्धारित सं. में स्वयं के निजी खर्च पर क लगायेगा।
6. प्रार्थी भवन चार दिवारी के मुख्य गेट पर भूखण्ड संख्या अंकित करेगा।
7. प्रार्थी तामीर प्रारम्भ करने की तिथी एवं भवन निर्माण पूर्ण होने की तिथी की सूचना नगर विक देगा।
8. निर्माण स्वीकृति ~~स्वकीय~~/~~व्यावसायिक~~/~~ऑटोमोबाइल्स~~. ~~वर्कशाप~~ अन्य संस्थागत हेतु प्रदान की जा
9. उपरोक्त दर्शायी गई स्वीकृति उपयोग के अलावा अगर निर्माण कार्य किया गया तो उसे ह कानूनन बाध्य होगा।
10. यह अवधि निर्माण की अवधि समाप्त होने तक अथवा स्वीकृति में ~~एक~~ तीन वर्ष जो भी पहले होगी
11. आपसे सम्बन्धित पत्रावली नगर विकास न्यास में निर्माण हेतु संख्या 1707/2012 .... 2113 नक्शा स. .... है।
12. सक्षम अधिकारी के मार्गदर्शन हेतु निर्माण स्थल पर पानी स्थापित करने हेतु टांके का निर्माण किया जाना होगा।

उप नगर नियोजक
सचिव
नगर विकास

क्रमांक/ दिना

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. आयोजना/योजना शाखा/नियमन शाखा/न्यास बीकानेर।
2. श्री .... कनिष्ठ अभियन्ता, बीकानेर

Photo Copy Attested
NOTARY

Secretary/Treasurer
M.N.S. Medical & Educational Society
BIKANER

उपरिनिदिष्ट अनुसूची

सम्पूर्ण भूखण्ड जो ग्राम .... के नक्शे (Plan) में निवास खसरा सं. 227/202/40/2 KILL NO. 7,8,13,14,15 है, जिस 9330.55 वर्गगज वर्गफुट/वर्गगज या इसके लगभग है तथा सीमाएं निम्न रुपेण है।

उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
LH NO. 748	रोड	KILL NO. 16,17 & 18	KILL NO. 12

और जिसे संलग्न नक्शे में दिखाया गया है और जिसे लाल रंग की सीमाओं से चिंहित किया गया है:

श्री/श्रीमती/सुश्री एम. एन. एस. मेडिकल एण्ड एज्यूकेशनल सोसायटी, बीकानेर व

राजस्थान के राज्यपाल तथा सचिव नगर सुधार न्यास के लिए और उनकी/उसकी ओर से गवाहों की उपस्थिति में सचिव नगर सुधार द्वारा हस्तांतरित

हस्ताक्षर [signature]

For M.N.S. Medical & Educational Society

(नाम) श्री/श्रीमती एम. एन. एस. मेडिकल पद्दधारी

एण्ड एज्यूकेशनल सोसायटी, बीकानेर

1. हस्ताक्षर [signature]

नाम याकूब अली निरबाण

वल्द (पिता का नाम) अनवर अली

पता 5-C-13, जे. एन. वी. कॉलोनी बीकानेर

2. हस्ताक्षर [signature]

नाम जुगल किशोर माथुर

वल्द (पिता का नाम) ....

पता 5-C-17, ... कॉलोनी बीकानेर

संलग्नः स्टाम्प तकमील नग ....

कीमती रु. 100/-

[signature]

सचिव नगर विकास न्यास, बीकानेर

CENTRAL NOTARY GOVT. OF INDIA

Secretary/Treasurer
M.N.S. Medical & Educational Society
BIKANER

CENTRAL NOTARY BIKANER